संख्या-60 /2020/1444 ई-2/तेरह-2020-01/2018

प्रेषक

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 09 जुलाई, 2020

विषय:- शीरा नीति 2019-20 में निर्धारित शीरे के आरक्षण प्रतिशत को कम करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-जी-19/दस-185(2)/शीरा नीति/2019-20, दिनांक 27.06.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों के लिए शीरा वर्ष 2019-20 में शीरे पर निर्धारित 18 प्रतिशत आरक्षण को घटाकर 17 प्रतिशत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 27.06.2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों के लिए शीरा वर्ष 2019-20 में शीरे पर निर्धारित 18 प्रतिशत आरक्षण को घटाकर 17 प्रतिशत किया जाता है। शीरा नीति वर्ष 2019-20 के शेष प्रावधान यथावत रहेगें।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।